उत्तर प्रदेश शासन
लोक निर्माण अनुभाग-3
संख्या-42/2024/2597/23-3-2024-03ईएस/2023
लखनऊ, दिनांक: 24 दिसम्बर, 2024

कार्यालय-ज्ञाप

लोक निर्माण विभाग के विकास कार्यों के त्वरित सम्पादन के लिए प्रमुख अभियंताओं के सक्रिय मार्ग-दर्शन और सहयोग की आवश्यकता होती है। इसके लिए कार्यालय में उपस्थित रहकर कार्य सम्पादन आवश्यक होता है। अतएव, यह अपेक्षित है कि अपरिहार्य परिस्थिति में ही अनुमति प्राप्त कर मुख्यालय से बाहर प्रस्थान किया जाय।

2- अतः इस संबंध में प्रमुख अभियंतागण, लोक निर्माण विभाग को यह निदेशित किया जाता है कि उनके द्वारा विशेष परिस्थिति में प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभागकी अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही मुख्यालय से बाहर प्रस्थान किया जाय।

3- कृपया उक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

प्रभुनाथ,
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
3. प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष/प्रमुख अभियंता (ग्रामीण सड़क)/प्रमुख अभियंता (परि0/नियो0), लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लि0/प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ।
5. समस्त मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता, अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग,उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(राजेश प्रताप सिंह)
उप सचिव।

https://shasanadesh.up.gov.in/GO/INTRA/